(2)

24.05.2024

-: आदेश :-

अभिलेख उपस्थापित।

आम इश्तेहार का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। किसी प्रकार की आपत्ति अभी तक अप्राप्त है।

आवेदिका श्रीमती सीता देवी पति - अयोध्या सिंह, साकिन - गोविन्दपुर के आवेदन के आलोक में राजस्व उपनिरीक्षक, हल्का सं० - 05 ने अंचल निरीक्षक, अमरपुर के माध्यम से भौतिक पंजी-II के भाग सं०-II पृष्ठ सं० - 131 के आधार पर ऑनलाइन पंजी-II में जमाबंदी कायम करने की अनुशंसा की है जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-

अंचल - अमरपुर
मौजा - गोविन्दपुर
थाना सं० - 279
खाता सं० - 02
प्लाट सं० - 169
रकबा - 0.44 एकड़

उक्त जमाबंदी को ऑनलाइन करने के संबंध में आम इश्तेहार निर्गत किया गया जिसका आपत्ति निर्धारित समय तक अप्राप्त है।

अत: अनापत्ति की स्थिति में उपरोक्त वर्णित भौतिक जमाबंदी पंजी II के पृष्ठ सं० - 131, भाग सं० - II के आधार पर तथा आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए केवाला दस्तावेज एवं लगान रसीद एवं राजस्व उप निरीक्षक तथा अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आलोक में उपरोक्त वर्णित जमाबंदी का ऑनलाइन जमाबंदी कायम करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है। यह आदेश सक्षम न्यायालय के द्वारा निर्णीत मामले के किसी भी आदेश से प्रभावित होगा।

(हस्ताक्षर) 24.05.24
अंचल अधिकारी
अमरपुर

Digitally signed by Gulzar Anjum
Date: 2024.06.07 19:31:38 +05:30
Location: 192.168.205.66